4. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

विभाग में निर्माण कार्यो का सम्पादन सम्बन्धित प्रखण्ड के अधिशासी अभियन्ता की देखरेख में कराये जाते हैं। अधिशासी अभियन्ता उक्त कार्यो को सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के सहयोग से पूर्ण कराते हैं निर्माण कार्यो के सम्पादन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर पी0डब्लू0डी0 शेड्यूल के आधार पर प्राक्कलन आदि स्वीकृत किये जाने के निर्णय लिये जाते हैं तथा विभिन्न अभियन्ताओं के स्तर पर कार्यो की देखरेख/निरीक्षण किया जाता है। निम्न गुणवत्ता वाले कार्यो के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता जिम्मेदार होते है लेकिन सर्वप्रथम यह प्रयास होता है कि कार्यो को ठेकेदार से ठीक करा लिया जाये। निर्माण कार्यो के संबंध में वित्तीय नियंत्रण हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के प्राविधानों का पालन किया जाता है। इस हेतु विभिन्न अभिलेखों जैसे डिपाजिट रजिस्टर, वर्करजिस्टर, टेन्डर पत्रावली, अनुबन्ध पत्रावली, मापपुस्तिका, आर0एम0आर0 तथा स्टाक पंजिका आदि का रख–रखाव निर्धारित प्रारूप पर किया जाता है। वित्तीय विवरण के रूप में प्रखण्ड स्तर पर मासिक लेखा बनाया जाता है जो संकलन, निरीक्षण व परीक्षण हेतु महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित किया जाता है।